न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 285/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/403**
दायर दिनांक :– 30.10.2024 **निर्णय दिनांक :– 09.04.2025**

1. रामसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी खेतूसर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. अर्जुनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि राजस्व ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी के खसरा नबर 402/2 रकबा 5.6656 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411/2 रकबा 2.5576 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 402 रकबा 5.6656 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 411 रकबा 2.5495 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपना कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है लेकिन वर्तमान में पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एंव बिना किसी विधिक आदेश के एवं प्रार्थी को सूचित किये बगैर ही सेग्रीगेशन योजना के तहत प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम अपनी मनमर्जी से जमाबंदी में दर्ज रकबा से कम करते हुवे अप्रार्थी संख्या 2 के खसरा की जमाबंदी में दर्ज रकबे एवं कब्जे से अधिक कर दी है जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा व जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार आज दिन तक चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित खसरान् की जमाबंदी में दर्ज रकबा से अधिक विधि विरूद्व तरीके से की गई तरमीम को निरस्त करवाने एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 की

09/4/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी के खसरा नबर 402/2 रकबा 5.6656 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411/2 रकबा 2.5576 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 402 रकबा 5.6656 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 411 रकबा 2.5495 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। तहसीलदार बाप के जवाब एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर पटवारी हल्का टेपू की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी के खसरा नबर 402/2 रकबा 5.6656 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411/2 रकबा 2.5576 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 402 रकबा 5.6656 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 411 रकबा 2.5495 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त की जाकर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)